Publication of book on Writings of Rabindra Nath Tagore

837. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Will the Minister of EDUCATION be pleased t_0 stale.

(a) whether it has come to Government's notice that some unscrupulous publishers of Delhi have published the Rabindra Rachanabali in Hindi which is available at book stalls;

(b) whether Government are aware that some of the books which these publishers released in the market for sale are not at all the writings of Gurudev Rahin-draoath Thakur;

(c) whether Government have taken any action against those publishers;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, what are the reasons for delay in taking action?

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI K. C. PANT): (a) and (b) No complaint has been received regarding the unauthorised publication of Rabindra Rachanabali in Hindi, or regarding some fake books having been brought out under the name of Gurudev Rabindra Nath Tagore.

(c) to (e) Under the provisions of the Indian Copyright Act, copyright is a properietory right and it is for the owners of copyright to institute necessary civil or criminal proceedings in the appropriate court of law for enforcing their rights. The Visva Bharati University is the copyright owners of the works of Gurudev Tagore. The Government cannot *suo moto* initiate proceedings in the matter.

दहेज तथा दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए उपाय

838. **श्री शिव कुमार मिश्र** : क्या **समाज और महिला कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश में दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि की रोकथाम के लिए क्या सख्त उपाय करने का विचार रखती है ;

(ख) दहेज के नाम पर चोरी-छिपे लेन-देन के बाद विवाह संबंध तय होने की प्रक्रिया के पश्चात् दहेज की बढ़ती हुई मांग की रोकथाम के लिए कौन-कौन से उपाय सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) इस संबंध में नए कानून कब तक बना दिए जाने की संभावना है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मरगतम चन्द्रशेखर) : (क) भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब संशोधन कर दिया गया है ताकि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिये दंड को और अधिक कठोर और कारगर बनाया जा सके तथा पत्नी पर पति के रिश्तेदारों द्वारा अत्याचार करने पर उन्हें दण्ड दिया जा सके। निर्दोष सिद्ध किए जाने की जिम्मेदारी इस तरह के अपराध करने वालों की अपनी होगी।

(ख) और (ग) अभी हाल में संशोधित दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत विधि मंत्रालय नियम बना रहा है ताकि चोरी-छिपे किए जाने वाले इस धन्धे को रोका जा सके।

सैनिक स्कूलों का कार्यकरण

839. **श्री शिव कुमार मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूलों में व्याप्त अनियमितताओं, अव्यवस्था, असन्तोष और अन्य कमियों की जानकारी है ; और

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों, जिन्हें इन स्कूलों को चलाने के लिए धन दिया जाता है तथा रक्षा मंत्रालय जो उनके प्रबंध की देखरेख करता है, के बीच तालमेल न होने के कारण उनका कार्य रुक गया है तथा इन स्कूलों के कर्मचारियों में स्पष्ट रूप से असंतोष व्याप्त है; यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?